

प्रेम्बर,

श्री ज्योति गांगुली,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा से-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रो वि विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

तारीख: दिनांक: 13 जनवरी, 1994

विषय:- परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मन्दिर रम्भरेती पुन्दावन मधुरा सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु ज्ञापित प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मन्दिर रम्भरेती, पुन्दावन मधुरा को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सीताबट्टी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न बर्गों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/शैक्षिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्वैस्टिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था शैक्षिक एवं शिष्योत्तर कर्मचारियों को राजकीय तहायता प्राप्त प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमति देना नहीं तथा अन्य भर्तियों से कम वेतन पर भर्तियाँ नहीं दिये जायेंगे ।

*(Handwritten signature)*

MANAGER

P.D. Dhanuka Saraswati Vidya Mandir  
Senior Secondary School (Residential)  
VRINDABAN

ATTESTED

PRINCIPAL

P.D. Dhanuka Saraswati Vidya Mandir  
Senior Secondary School (Residential)  
VRINDABAN

कर्मचारियों की सेवा भी बनायी जायेगी  
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों से  
सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश विहित किये जायें, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित रूप/परिष्कारों में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के प्राधिकारों के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृथ्वा शिथिलता भरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र खसत ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अशोक मांगुली)  
उप सचिव ।


पुं० सं० 5352111/15-7-1994 तदतिर्नांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 2- मध्यम श्रेणी उप शिक्षा निदेशक, आगरा लखनऊ आगरा ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, परभ्रवरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मन्दिर रमरती वृन्दावन मथुरा ।

आज्ञा है,



(अशोक मांगुली)  
उप सचिव ।



MANAGER  
P.D. Dhanuka Saraswati Vidya Mandir  
Senior Secondary School (Residential),  
VRINDAVAN

ATTESTED



PRINCIPAL  
P.D. Dhanuka Saraswati Vidya Mandir  
Senior Secondary School (Residential)  
VRINDAVAN